

# न्यायालय तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

प्राथी

बनाम

विप्राथी

राजारथान सरकार  
पटवारी हल्का हरखाली

मीठालाल पुत्र लामुराम  
जाति ब्राह्मण निवारी नया वाटाडू

मुकदमा नम्बर 01/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजारथान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय


दिनांक 12.09.2018

पत्रावली आज पेश हुई। विप्राथी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्राथी द्वारा संवत् 2075 में नाम नया वाटाडू के खरारा नम्बर 1381/612 रकबा 5.00 बीघा किरम गै. मु. अस्पताल सरकारी भूमि में से रकबा 100 वर्ग फीट में अनाधित रूप से चारो तरफ कब्जा झोपा बनाकर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा विप्राथी के विरुद्ध राजारथान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्राथी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। खरारा नम्बर 1381/612 की भूमि सरकार की गै. मु. अस्पताल भूमि है। विप्राथी द्वारा सरकारी भूमि पर विना किराी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्राथी को राजारथान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 1 रु 50 गुणा जुर्माना रु 50/- अखरे पचास रुपये मात्र किया जाता है। जो विप्राथी से वसूल था। विप्राथी को मोके से वेदखल करने भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने हेतु भूअ. निरीक्षक व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सुनये हो, पत्रावली फेराल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को सुनाया गया।

  
तहसीलदार बायतु

12/09/2018